



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48338-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2743/2026

पूजन कुमार गौतम और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: प्रदीप कुमार तिवारी, उत्पल चटर्जी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शिव कुमार पाल, उप. एस.जी.आई.

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा मूल आवेदन संख्या 1530/2014 में दिनांक 29.10.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा यद्यपि न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता के रद्दीकरण को अपास्त कर दिया था, यह निर्देश दिया गया था कि उन्हें ग्रुप-डी पद पर 'यदि सीटें अभी भी रिक्त हैं' तथा यदि वे विचार क्षेत्र/मेरिट सूची के अंतर्गत हैं और तीन माह की अवधि के भीतर अन्य सभी चयन मानदंड पूरे करते हैं, तो नियुक्त किया जाए।

2. इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि न्यायाधिकरण यह अपेक्षा करने में न्यायोचित नहीं था कि नियुक्ति तभी दी जाए जब सीटें अभी भी रिक्त हों और न्यायाधिकरण से यह अपेक्षित था कि वह प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने हेतु अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्देश देता, क्योंकि वर्ष 2014 से न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका की लंबितता के दौरान उन्हें अनुतोष से वंचित नहीं किया जा सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने दलीलें प्रस्तुत कीं कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के पश्चात, रेलवे भर्ती सेल द्वारा दिनांक 19.01.2026 को एक आदेश पारित किया गया है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह इंगित किया गया है कि दिनांक 15.12.2010 की रोजगार सूचना के विरुद्ध कोई रिक्ति शेष नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता किसी अनुतोष के अधिकारी नहीं हैं।

4. यह भी दलील दी गई कि याचिका **विजय पाल एवं अन्य बनाम भारत संघ : रिट-ए संख्या 21096/2018** में दिनांक 16.05.2023 को विनिश्चित निर्णय के आधार पर अनुज्ञात की गई थी, जिसमें न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन की लंबितता के दौरान एक अंतरिम आदेश था जो प्रत्यर्थियों को उनके पक्ष में 23 पद रिक्त रखने का निर्देश देता था, परंतु वर्तमान वाद में ऐसा कोई निर्देश नहीं था और इसलिए न्यायाधिकरण सीटें अभी भी रिक्त होने की शर्त के अधीन अनुतोष प्रदान करने का निर्देश देने में न्यायोचित नहीं था और इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

6. न्यायाधिकरण ने याचिका को केवल एकमात्र आधार **विजय पाल (उपरोक्त)** के वाद में दिए गए निर्णय पर भरोसा व्यक्त करके अनुज्ञात किया है।

7. उक्त निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त निर्णय के प्रस्तर-7 में, खंडपीठ ने नोट किया कि मूल आवेदन में दिनांक 31.12.2015 का अंतरिम आदेश दिया गया था जो प्रत्यर्थियों को 23 ग्रुप-डी पद रिक्त रखने का निर्देश देता था और तत्पश्चात रिट याचिका में भी उक्त अंतरिम आदेश जारी रखा गया था। उक्त तथ्य, जिसके द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से उन याचिकाकर्ताओं के लिए विशिष्ट पद रिक्त रखे गए थे, वर्तमान वाद में लागू नहीं हो सकता क्योंकि स्वीकारतः न्यायाधिकरण द्वारा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था और एक बार जब प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसरण में सभी पद भर दिए गए हैं, तो न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश, जो सीटें अभी भी रिक्त होने पर नियुक्ति प्रदान करने की अपेक्षा करते हैं, दोषपूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं।

8. उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत, हमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. याचिका में कोई सार नहीं है। अतः यह **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

10 मार्च, 2026

एनडी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।